

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पिठासीन अधिकारी-श्री श्योराम वर्मा आरएएस

राजस्व वाद सं. 348/2014

1. सोहनलाल पुत्र स्व. बेगाराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु। वादी

बनाम

1. चेनाराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु।
2. माणकचन्द पुत्र स्व. बेगाराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु।
3. श्रीमती भंवरी पत्नि स्व. अन्नाराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु।
4. राजू पुत्र स्व. अन्नाराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु।
5. शंकरलाल पुत्र स्व. अन्नाराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु।
6. श्यामसुन्दर पुत्र स्व. अन्नाराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु।
7. श्रीमती मीरा पुत्री स्व. अन्नाराम पत्नि पप्पूराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी खेराट तहसील जायल जिला नागौर।
8. श्रीमती जमना पुत्री स्व. अन्नाराम पत्नि मुकेश जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरु।
9. श्रीमती पूनम पुत्री स्व. अन्नाराम पत्नि श्रवण जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरु।
10. श्रीमान उप पंजीयक /तहसीलदार महोदय बीदासर जिला चूरु।
11. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरु।

प्रतिवादीगण

दावा कृषि भूमि विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा

उपस्थिति- श्री गोर्वधनसिंह राठौड़ एडवोकेट वादी की ओर से एकतरफा प्रतिवादीगण के विरुद्ध।

निर्णय

दिनांक 2/3/22



उपरोक्त अनुवानी दावा का विचारण किया जाकर दिनांक 28/12/2021 को दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया था कि वादी वादगत खसरा सं. 75 तादादी 55-12 बीघा खेत खसरा सं. 75/961 तादादी 1-02 बीघा कुल तादादी 56 बीघा 14 बिश्वा वाके रोही साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अधिकारो की भूमि का विभाजन करवाने का वादी अधिकारी है। तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार कर पेश करे तदानुसार पर्चा डिक्री जारी की गई।

जिस पर तहसीलदार बीदासर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं हुई।

वादी वादगत भूमि वाके रोही ग्राम साण्डवा की भूमि का संयुक्त खातेदार है और वादी का संयुक्त खातेदारी की भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार.....2


अतः दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि :-

1. वादी सोहनलाल पुत्र स्व. बेगाराम जाति जांगीड़ ब्राह्मण सुथार निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु के हिस्से पांती मे खेत खसरा सं. 75 की मीन तादादी 3.5852 है0 पश्चिमी पाखी वाके रोही ग्राम साण्डवा की भूमि संलग्न नक्शानुसार रखी जाती है जिसकी खातेदारी प्रथक से वादी के नाम अलग से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।
2. प्रतिवादी सं. 01 ता 09 के हिस्से पांती मे खसरा नं. 75/961 व खेत खसरा सं. 75 मीन तादादी वादी सोहनलाल के पूर्वी ओर की भूमि संलग्न नक्शानुसार रखी जाती हैं जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के प्रथक से दर्ज की जावे।

तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर नक्शा मे तरमिम करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/22 को खुल न्यायालय मे सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर